न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 49 / 2018 जिला दौसा

1. कंचन
2. मिट्ठू
3. प्रसादी
   पि. मूल्या
4. रामस्वरूप
5. रामलाल
6. दाना
   पि. गंगासहाय
7. जगदीश
8. हार्‌या
   पि. गेंदाराम

समस्त जाति माली, निवासी ग्रम बहरावण्डा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्योनाथ
2. पून्या
3. भगवान सहाय
4. छोटेराम
   पि. डूंगा
5. शान्ति बेवा लक्ष्मण
6. बाबू लाल
7. राकेश
   पि. लक्ष्मण
8. नाथू पुत्र बद्री
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा (भू स्वामी)
10. उप पंजीयक, सिकराय

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा
दिनांक 12.6.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलार्थी श्री सियाराम शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री उमेश गौड

निर्णय

दिनांक– 4.12.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.6.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम रामा बहरावण्डा, तहसील सिकराय, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 883 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा, 888 रकबा 11 बीघा व 888/1117 रकबा 11 बिस्वा व 884 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 21 बीघा 4 का खातेदार दल्ला पुत्र मांग्या, जाति माली था । खातेदार दल्ला के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 267 दिनांक 22.4.1973 को ग्रम पंचायत बहरावण्डा, तहसील सिकराय, जिला दौसा द्वारा मूल्या दत्तक पुत्र दल्ला के नाम स्वीकार किया गया ।

उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर श्योनाथ पुत्र डूंगा वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष मियाद अधिनियम की धारा 5 के पार्थना पत्र के साथ दिनांक 20.11.2017 को प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.6.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 267 दिनांक 22.4.1973 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार सिकराय को उभयपक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पूर्ण जॉच कर नामांतरकरण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी सिकराय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर मूल्या दत्तक पुत्र दल्ला के पुत्रान कंचन वगैहरा द्वारा यह द्वितीय प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी सिकराय दिनांक 12.6.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब के कारण भी कपोल कल्पित एवं झूठे थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब के संबंध में निर्णय के साथ ही अपील के गुणावगुण पर बहस सुने बिना ही, प्रकरण के तथ्यों की समालोचना व व्याख्या किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूंठे तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की थी । रेस्पोंडेन्ट्स ने एक वाद बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी श्योनाथ बनाम नाथू वगैहरा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 7.10.2016 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मियाद बाहर अपील को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अपीलान्ट संख्या 1 से 3 के पूर्वज दल्ला पुत्र मांग्या के कोई संतान नहीं होने से उन्होंने अपीलान्ट्स संख्या 1 से 3 के पिता मूल्या उर्फ मूलचन्द को अल्पआयु में ही परिवारजन, गॉव व समाज के मोजीज व्यक्तियों की उपस्थिति में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार दत्तक ग्रहण करने की रस्म अदा कर दत्तक पुत्र ग्रहण किया था । दत्तक ग्रहण की रस्म के वक्त रेस्पोंडेन्ट्स पक्ष के लोग व अन्य परिवारजन भी उपस्थिति थे । अपीलान्ट्स संख्या 1 से 3 के पिता मूल्या के हक में मृतक खातेदार दल्ला की विरासत का नामांतरकरण संख्या 267 दिनांक 22.4.1973 को

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

ग्रम पंचायत बहरावण्डा द्वारा तस्दीक कर दिया था, जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की मियाद बाहर अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर बिना बहस सुने स्वीकार की है, जो कानून के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि मूल्या का लालन पालन खातेदार दल्ला पुत्र मांग्या ने ही किया था तथा मूल्या का विवाह संस्कार आदि भी दल्ला ने ही किया था । अपीलान्ट संख्या 1 से 3 के पिता मूल्या ने ही दल्ला के जीवनकाल में सेवा सुश्रुषा की थी तथा दल्ला की मृत्यु आज से अर्सा करीब 50 वर्ष पूर्व हो चुकी थी । दल्ला की मृत्यु पर उसके समस्त क्रियाकर्म यथा– दाह संस्कार, पिण्डदान, अस्थि विसर्जन, द्वादशा, बारह ब्राहम्ण भोज , पगडी आदि सभी रस्मे परिवारजन , रिश्तेदारान, समाज व गॉव के पंच पटेल व अन्य लोगों की मौजदगी में अपीलान्ट्स संख्या 1 से 3 के पिता मूल्या उर्फ मूलचन्द ने बतौर दत्तक पुत्र सम्पन्न किये थे । विवादित भूमि पर मूल्या बतौर मालिक काबिज काश्त है तथा भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा था । अपीलान्ट संख्या 1 से 3 के पिता मूल्या का भी दिनांक 21.10.2008 को देहान्त हो चुका है ओर मूल्या की विरासत का नामांतरकण अपीलान्ट संख्या 1 से 3 के हक में खोला जाकर अपीलान्ट्स संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो चुके है और अपीलान्ट संख्या 1 से 3 का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है । उनका कहना था कि आराजी खसरा नम्बर 883 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा में से 1/2 हिस्से की भूमि अपीलान्ट्स संख्या 1 से 3 के पिता मूल्या ने अपने जीवनकाल मे ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट संख्या 4 से 6 रामस्वरूप, रामलाल, दाना पि. गंगासहाय को विक्रय करदी थी तथा विक्रय की गई भूमि पर क्रेताओं का कब्जा काश्त है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स संख्या 1 से 3 ने भूमि मुतदाविया में से कुछ हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट्स संख्या 7 व 8 जगदीश, हार्या पि. गैंदाराम को विक्रय करदी थी तथा विक्रय पत्र के आधार पर क्रेताओं के नाम नामांतरकरण खुल कर खातेदारी दर्ज इन्द्राज हो गई है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट्स को प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का प्रारम्भ से ही बखूबी इल्म था , लेकिन भूमि हडपने की नियत से मनगढन्त झूंठे तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी, जिसे अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 12.6.2018 निरस्त किया जावे । अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यू.एल.सी. 2010 (राजस्थान) अनरिर्पोटेड केसेज, राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बैंच) डी.बी. सिविल स्पेशन अपील (डब्ल्यू) नं. 1426/2006 निर्णय दिनांक 16.2.2009, (1997) 7 एस.सी.सी 556, 2018 (3) डी.एन.जे. (राजस्थान) 930, डब्ल्यू. एल.सी. (राजस्थान) यू.सी. 2004 पेज 712 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

पत्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार दल्ला नाऔलाद फौत हुआ था । खातेदार दल्ला के दो भाई डूंगा व नोन्दा है थे । डूंगा के ब्रदी (फौत), श्योनाथ, पून्या, लक्ष्मण (फौत), भगवान सहाय, छोटेराम पुत्रान थे जिनमें से बद्री (फौत) का पुत्र नाथू व लक्ष्मण (फौत) के पुत्र बाबू लाल, राकेश व पुत्री शान्ति है । खातेदार दल्ला के दूसरे भाई नोन्दा के गंगाधर (नाऔलाद फौत), गैन्दा, मूल्या (फौत) पुत्रान थे जिनमें से मूल्या (फौत) के कंचन, मिट्ठू, प्रसादी अपीलान्ट संख्या 1 से 3 पुत्रान

है । इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट्स के पूर्वज डूंगा व नोन्दा मृतक खातेदार दल्ला के खास भाई थे, जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिक उत्तराधिकारी थे । उनका कहना था कि विवादित भूमि के मृतक खातेदार दल्ला द्वारा अपने जीवनकाल में भूमि का रहन, बय, हस्तान्तरण, वसियत, दान इत्यादि नहीं की थी तथा निर्वसियत फौत होने के कारण व किसी को गौद लिये बिना मृत्यु होने से दल्ला की भूमि में उसके भाई डूंगा एवं नोन्दा का 1/2–1/2 हिस्सा विधिक रूप से दर्ज होना चाहिये था । उनका कहना था कि मृतक खातेदार दल्ला की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत ने बिना किसी कौरम के अकेले ने ही , बिना गोदनामें के व बिना वारिसान की जॉच किये मूल्या दत्तक पुत्र दल्ला के नाम तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण की जॉच भी गिरदावर हल्का से नहीं कराई गई तथा बिना जॉच व बिना कौरम के अकेले सरपंच द्वारा तस्दीक किया है , जो प्रारम्भ से ही शून्य है तथा ऐसे शून्य आदेश को चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण की सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोंडेन्ट्स को दिनांक 12.11.2017 को अपीलान्ट्स द्वारा भूमि पर आकर बेदखल करने की ऐलानियां धमकी देने पर हुई ओर इस पर रेस्पोंडेन्ट ने नामांतरकरण की नकल हेतु आवेदन दिनांक 13.11.2017 को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 14.11.2017 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मियाद अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी । उनका कहना कि अपीलान्ट्स मृतक खातेदार दल्ला की भूमि में हक प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है तथा प्रश्नगत नामांतरकरण प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण उसे चुनौती देने के लिये कोई मियाद सीमा लागू नहीं होती । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय ने प्रकरण के विधिक तथ्यों एवं गुणावगुण पर गौर करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2018 द्वारा सर्वप्रथम मियाद के संबंध में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को उभयपक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पूर्ण जॉच कर उक्त नामांतरकरण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है । अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्यक होने से उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2004 पेज 610, डी.एन.जे. 2003 (2) एस.सी. पेज 347, आर.आर.डी. 1989 पेज 45, आर.बी.जे. 2006 पेज 127, आर.बी.जे. (13) 2006 पेज 796 व पेज 1 , आर. आर.टी. 2009 (2) पेज 960, आर.बी.जे.(5) 1998 पेज 487, आर.बी.जे. 2006 (13) पेज 198 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अवलोकन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के खातेदार दल्ला के नाऔलाद फौत होने पर ग्रम पंचायत बहरावण्डा द्वारा मृतक खातेदार दल्ला की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 267 दिनांक 22.4.1973 को दल्ला के भाई नोन्दा के पुत्र मूल्या दत्तक पुत्र दल्ला के नाम तस्दीक किया है । रेस्पोंडेन्ट्स मृतक खातेदार दल्ला के भाई डूंगा एवं नोन्दा के पुत्र–पौत्र है जो

दल्ला की भूमि में उसके भाई डूंगा व नोन्दा के नाम 1/2–1/2 हिस्सा चाहते हैं । रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 267 दिनांक 22.4.1973 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष अपील दिनांक 20.11.2017 को करीबन 44 वर्ष बाद मियाद बाहर पेश की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2018 द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना स्वीकार करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 267 दिनांक 22.4.1973 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार सिकराय को उभयपक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पूर्ण जॅाच कर नामांतरकरण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि के संबंध में रेस्पोंडेन्ट श्योनाथ द्वारा एक दावा बाबत उद्घोषणा , दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी श्योनाथ बनाम नाथू न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 7.10.2016 को को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने के बाद 10.7.2017 को बाजदायरी स्वीकार की जाकर दावा पुनः नम्बर पर लिया जाकर वास्ते तलबी दिनांक 16.8.17 नियत की थी ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक दल्ला के नाऔलाद फौत होने पर दल्ला के भाई डूंगा व नोन्दा को छोडते हुये व नोन्दा के पुत्र मूल्या दत्तक पुत्र दल्ला के नाम ग्रम पंचायत बहरावण्डा द्वारा स्वीकार किया था । अपीलान्ट्स द्वारा मूल्या को दल्ला के गौद जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । दत्तक पुत्र के संध में विभिन्न न्यायालयों के अपने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा अन्य किसी आधार पर कोइ व्यक्ति विरासतन हक व अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो नियमित वाद के माध्यम से ही प्राप्त किये जा सकते हैं । इन्तकाल एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसके माध्यम से प्राकृतिक उत्तराधिकारी को अपने हक व अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट्स प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति हैं , जिन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में आवश्यक था, लेकिन ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट्स को बिना सुने तस्दीक किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स की अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2018 से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 267 दिनांक 22.4.1973 निरस्त करते हुये प्रकरण उभयपक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पूर्ण जॅाच कर नामांतरकरण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार सिकराय को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।
अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त (संभागीय आयुक्त)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर